प्रारूप–2

कार्यालय– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, महराजगंज।

(जिला / संघ राज्यक्षेत्र का नाम)

संख्यांक:02

प्रबन्धक,

जी0एस0नेशनल पब्लिक स्कूल बृजमनगंज

जनपद–महराजगंज।

पत्रांक / मान्यता / 12060-64 / 2016–17 / दिनांक 30 नवम्बर,2016

विषयः–निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय,

आपके तारीख 26.07.2015 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रति निर्देश के अनुपालन में मण्डलीय मान्यता समिति द्वारा सर्व सम्मति से लिये गये निर्णय दिनांक 29.11.2016 के फलस्वरूप मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) सप्तम मण्डल, गोरखपुर द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के फलस्वरूप जी0एस0नेशनल पब्लिक स्कूल बृजमनगंज, जनपद–महराजगंज को (एल0के0जी0 से 8 तक) अंग्रेजी माध्यम की अस्थायी मान्यता दिनांक 01.04.2016 से दिनांक 01.04.2019 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये अनंतिम मान्यता प्रदान करने की सूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्याधीन है:–

1–मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप से कक्षा 8 के पश्चात मान्यता / संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2–विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2)के उपबन्धों का पालन करेगा।

3–विद्यालय कक्षा–6 में (या यथास्थिति जूनियर हाई स्कूल कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 80 प्रतिशत तक आस–पडोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

4–पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5–सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6–विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:

(i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी जूनियर स्तर की शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

क्रमशः ..2 पर

G.S. National Public School, Bridgmanganj, Maharajganj — PRINCIPAL

Srivastava

MANAGER

G.S. National Public School

Bridgmanganj, Maharajganj

(ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

(iii) जूनियर हाई स्कूल तक की शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(iv) जूनियर स्तर तक की शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना है।

(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगें:

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तब्यों का पालन करता है, और

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7– विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8– विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानको और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	:–22672 वर्ग फुट
कुल निर्मित क्षेत्र	:–5680 वर्ग फुट
कीड़ा–स्थल का क्षेत्रफल	:–खेल का मैदान पर्याप्त है।
कक्षाओं की संख्या	:–10
प्राध्यापक–सह कार्यालय सह भांडागार के लिये कक्ष	:–03
बालक और बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय	:–02
पेयजल सुविधा	:– 02
मिड–डे मील पकाने के लिये रसोई	:–निर्मित है।
बाधारहित पहुंच	:– मार्ग उपलब्ध है।

अध्यापन पठन सामग्री / क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धता– उपलब्ध है।

9– विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जायेंगी।

10– विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।

11– विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12– स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।

13– विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा सम्परीक्षा की जानी चाहिए और

क्रमशः... 3 पर

Srivastava
PRINCIPAL
G.S. National Public School, Bridgmanganj, Maharajganj

Naveen S.
MANAGER
G.S. National Public School
Bridgmanganj, Maharajganj

उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रकित प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14– आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक.02 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15– विद्यालय ऐसी रिर्पोट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जायें।

16– सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के निवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

19– विद्यालय में कोई अध्यापक विभागीय नियमानुसार अप्रशिक्षित पाये जाने की दशा में विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

20– बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्य पुस्तकें ही पढ़ायी जायें।

21– विद्यालय का संचालन शासन/विभाग द्वारा निर्धारित समयानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

22– बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के कोई भी वर्ग संचालित/बंद न किया जाये।

(जय प्रताप सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
महराजगंज।

पृ0सं0/अंग्रेजी मान्यता/ /2016–17– तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
2. जिला समाज कल्याण अधिकारी/अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी, महराजगंज।
3. संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद–महराजगंज।
4. कार्यालय गार्ड फाइल हेतु।

(जय प्रताप सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
महराजगंज।

PRINCIPAL
G.S. National Public School, Bridgmanganj, Maharajganj

MANAGER
G.S. National Public School
Bridgmanganj, Maharajganj

कार्यालय–जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, महराजगंज

पत्रांकः / बेसिक / स0प्रा0 / 6347 / 2019–20 दिनांकः 29.4.2019

श्री नवीन सिंह
पुत्र गोपाल सिंह
प्रबन्धक जी0एस0 नेशनल पब्लिक स्कूल,
बृजमनगंज, जनपद– महराजगंज (उ0प्र0)

कृपया आप अपने पत्र दिनांक 08.04.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, उक्त के क्रम में आपको अवगत कराना है कि खण्ड शिक्षा अधिकारी, फरेन्दा, महराजगंज की आख्या दिनांक 26.04.2019 के अनुसार जी0एस0 नेशनल पब्लिक स्कूल, बृजमनगंज, जनपद–महराजगंज को एल0के0जी0 से कक्षा 8 तक अंग्रेजी माध्यम से मान्यता (पत्रांक / मान्यता / 12060–64 / 2016–17 दिनांक 30 नवम्बर, 2016) प्राप्त है। शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0–डी0ई0 / बे0शि0प0 / 2828–2919 / 2010–11 दिनांक 07 जुलाई, 2010 एवं शासनादेश संख्या–419 / 79–6–2013–18(20) / 91 दिनांक 08 मई, 2013 के अनुसार विद्यालय वर्तमान सत्र में संचालित है एव विद्यालय के प्रति कोई भी प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में नहीं आया है।

29/4/19

(जगदीश प्रसाद शुक्ला)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
महराजगंज

G.S. National Public School, Bridgmanganj, Maharajganj
PRINCIPAL
Srivastava

Naveen Singh
MANAGER
G.S. National Public Schoo
Bridgmanganj, Maharajganj

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय
समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007
वेब-साइट: www.upefa.com ई-मेल: upefaspo@gmail.com दूरभाष: 0522-4024440, 2780384, 2781128

प्रेषक,
राज्य परियोजना निदेशक,
स्कूल शिक्षा उ0प्र0
लखनऊ।

सेवा में,
श्री मनीष गर्ग
संयुक्त सचिव,
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

पत्रांकः रा0प0नि0/ 5654 /2021-22/लखनऊ दिनांकः 8 ~~फरवरी~~ मार्च, 2022

विषय- एक वर्ष के पूर्व से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं को नवीन यू-डायस कोड आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राज्य स्तर से विभिन्न वर्षों में मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के सम्बन्ध में नवीन यू-डायस कोड आवंटित किये जाने के अनुरोध अग्रसारित किये गये हैं। एक वर्ष के पूर्व से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के अनुरोधों को भारत सरकार के स्तर से यह अंकित करते हुए वापस कर दिया गया है कि "कृपया अपडेटेड मान्यता प्रमाण-पत्र अपलोड कर प्रेषित करें"।

उक्त प्रेषित किये गये अनुरोधों में वास्तविक शैक्षिक संस्थाएं ही अग्रसारित की गयी हैं। प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या-419/79-6-2013-18(20)/91 दिनांक 08 मई, 2013 (प्रति संलग्न) के बिन्दु- 15 में उल्लिखित निर्देश "प्रथमदृष्टया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है" के अनुसार मान्यता के सम्बन्ध में अपडेटेड प्रमाण-पत्र निर्गत करने का प्राविधान नहीं है। आगामी सत्र से मात्र पिछले एक वर्ष में मान्यता प्राप्त अथवा नवीन संचालित शासकीय संस्थाओं के यू-डायस कोड आवंटन हेतु ही अनुरोध पत्र प्रेषित एवं स्वीकृत किए जाएंगे। इस सम्बन्ध में समस्त जनपदों को निर्देश प्रेषित कर दिये गये हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि पूर्व के त्रुटिवश/समुचित प्रचार-प्रसार के अभाव में यू-डायस कोड आवंटन का अनुरोध न करने वाले विद्यालयों को राज्य स्तर से अग्रसारित अनुरोधों के क्रम में वर्तमान सत्र में यू-डायस कोड आवंटित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-उक्तवत्

भवदीया,

(अनामिका सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक।

पृष्ठांकनः रा0प0नि0/ /2021-22/लखनऊ/तद्दिनांक
प्रतिलिपिः

1. जिलाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि आपके जनपद में संचालित समस्त पात्र शैक्षिक संस्थाओं के यू-डायस कोड के आवंटन की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
2. श्री सदा अख्तर, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (साइंटिस्ट-एफ)
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

(अनामिका सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक।

G. S. National Public School
PRINCIPAL
Bridgmanganj, Maharajganj
Srivastava

Naresh S.
MANAGER
G.S. National Public School
Bridgmanganj, Maharajganj